कोर्ट फी COURT FEE 10रु. Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

कोर्ट फी COURT FEE 2रु. Rs.2 भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

कोर्ट फी COURT FEE 2रु. Rs.2 भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

(3)

न्यायालय :– माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रक. /2013 निगरानी

नि· 4499-III- 13

नवल सिंह पुत्र वृंदा खंगार निवासी ग्राम नरौआ तह. नरवर जिला शिवपुरी म.प्र

........आवेदक

बनाम

1. गोविन्दसिंह } पुत्रगण गजराज
2. अगरसिंह } सिंह रावत

निवासीगण ग्राम नरौआ तह. नरवर जिला शिवपुरी म.प्र.

3. म.प्र. शासन जिला शिवपुरी

.........अनावेदकगण

आज दि. 16.12.13 को प्रस्तुत
16.12.13
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

<u>निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 न्यायालय कलेक्टर महोदय जिला शिवपुरी के प्रक 2/13–14/स्व.नि. में पारित आदेश दिनांक 19.11.2013 के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत।</u>

(16.12.13)

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकार पेश है :–

<u>निगरानी के तथ्य</u> :–

1. यह कि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, आवेदक मातादीन पुत्र वृंदा खंगार निवासी नरौआ तह. नरवर जिला शिवपुरी एवं नरौआ पटवारी हल्का नम्बर 12 तहसील नरवर के सर्वे क. 704 रकवा 1.62 हे. पुराना सर्वे क. 207/2 रकवा 1.62 हे. है, जो बन्दोबस्त पूर्व का है। उक्त भूमि आवेदक के पटटे पर प्राप्त हुई थी तथा पटवारी कागजात में वहैसित भूमिस्वामी उसका नाम दर्ज होकर भूमि हस्तानांन्तरित विकय से वर्जित पटवारी अभिलेख में अंकित रही है। तथा आवेदक भूमिस्वामी व आधिपत्यधारी अंकित रहा है। उक्त भूमि को अनावेदक क. 1 व 2 द्वारा फर्जी विकय पत्र के आधारा पर दिनांक 24.05.1996 को नामांतरण आदेश पारित करा लिया गया है जो लगभ 12 वर्ष बाद कराया गया है जो नामांतरण प्रक्रिया के विपरीत होने से तथा आवेदक की भूमि पट्टे पर प्राप्त होने के कारण विकय से वर्जित होने के कारण विकय बिना सक्षम न्यायालय की अनुमति के किया जाना संभव नही था परन्तु विकय पत्र अनावेदक द्वारा करा लिया गया है। उक्त आदेश की शिकायत आवेदक द्वारा कलेक्टर महोदय शिवपुरी के समक्ष प्रस्तुत की गई। उक्त शिकायत के आधार पर प्रकरण स्वप्रेरणा में लेकर प्रक 02/ निगरानी/13–14 पर पंजीबद्ध किया जाकर अनावेदकगण को नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस का अनावेदक द्वारा कोई जबाव प्रस्तुत नही किया

शाखा प्रभारी (रा.मं.) कार्यालय ... ग्वालियर

(3)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक–निगरानी–4489–तीन/2013 जिला--शिवपुरी

नबल सिंह विरूद्ध गोविन्द सिंह आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
17–06–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर, जिला–शिवपुरी के प्र. क्र. 02/2013–14/स्व–निगरानी में पारित आदेश दिनांक 19–11–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 06–08–2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) 17/6/19 सदस्य	